Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, KOSHI (SAHARSA).

[Jamabandi Cancellation Revision Case No.- 99/2024]

Ramesh Mukhiya & Anr. ....Appellant

Versus

The State of Bihar & Someshwar Sah...............................Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	21.11.2025	(order below)	

आदेश

यह जमाबंदी रद्दीकरण पुनरीक्षण वाद न्यायालय समाहर्त्ता, सुपौल के जमाबंदी रद्द अपील वाद सं.- 53/2023 (रमेश मुखिया एवं अन्य बनाम सोमेश्वर साह) में दिनांक - 10.3.2024 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गई। LCR प्राप्त है।

प्रश्नगत भूमि का विवरण निम्न है :-

मौजा	थाना नं0	जमाबंदी नं0 सही जमाबंदी नं0	खाता (पुराना) सही खाता पुराना	खेसरा (पुराना) सही खेसरा नया	रकवा
सदानन्दपुर	26	520 / 1047	105 / 125	1348 / 1761	0-5-0

दिनांक-08.11.2025 को उभय पक्ष के Final Argument को सुना। तथा अभिलेख का अवलोकन किया। Petitioner का अभिकथन वाद पत्र में अंकित है। विपक्षी का जवाब Reply/Rejoinder में अंकित है।

उभय पक्ष के Final बहस को सुनने तथा अभिलेख में रक्षित कागजातों-वाद पत्र, Reply/Rejoinder आदि तथा LCR के अवलोकन से यह स्थिति दृष्टिगत है कि उभय पक्ष की ओर से प्रश्नगत जमीन को निबंधित केवाला से क्रय करने के आधार पर Legal Right का दावा किया जा रहा है। सुनवाई में उपस्थापित कागजातों के आधार पर यह स्थापित होता है कि अपीलार्थी द्वारा संदर्भित केवाला सं.- 5292/1985 (जिसके आधार पर जमाबंदी सं.-1047 कायम कर दावा किया जा रहा है) को विक्रेता द्वारा जरसम्मन (Consideration Amount) की राशि प्राप्त नहीं होने के कारण कैंसिलनामा दस्तावेज सं.-6961/1988 द्वारा रद्द कर दिया गया तथा इसके उपरांत विपक्षी को केवाला किया गया। तथा यह कि विपक्षी को प्रश्नगत खेसरा में से 3 कट्ठा निबंधित केवाला सं.-5280/1985 से प्राप्त हुआ था। तथा निबंधित केवाला सं. -6963/1988 से 2 कट्ठा जमीन प्राप्त हुआ। इस प्रकार विपक्षी को प्रश्नगत खेसरा का कुल 5 कट्ठा जमीन विधिमान्य रूप से केवाला से प्राप्त है। सुनवाई में Petitioner की ओर से अपने दावे के समर्थन में तथा विपक्षी की ओर से दाखिल अभिकथन एवं साक्ष्यों को Negate करने हेतु कोई Admissible Evidence उपस्थापित नहीं किया जा सका है।

निम्न न्यायालय के स्तर से उभय पक्ष के बीच विवाद के संदर्भ में संगत तथ्यों एवं कानूनी बिन्दुओं की विवेचना करते हुए यथोचित Findings के आधार पर आदेश पारित किया गया है। जो विधिसम्मत है। इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप अथवा संशोधन की आवश्यकता नहीं है। अतः तद्नुसार इस पुनरीक्षण वाद को खारिज किया जाता है।

आदेश की प्रति LCR के साथ निम्न न्यायालय को भेजें।

21/11/2025.
आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

लेखापित एवं शुद्धित।

21/11/2025.
आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

आयुक्त न्यायालय कोशी प्रमण्डल, सहरसा